

Court No. - 51

Case :- WRIT - C No. - 34047 of 2023

Petitioner :- Bhuidhar And Another

Respondent :- State Of U.P. And 6 Others

Counsel for Petitioner :- Hira Lal

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar Srivastava,Anup Kumar Srivastava,Bhupendra Kumar Tripathi,Shashi Ranjan Srivastava

Hon'ble Chandra Kumar Rai,J.

1. Heard Mr. Ayub Khan, Advocate assisted by Mr. Hira Lal, learned counsel for the petitioners, Mr. Anil Srivastava, learned Standing Counsel for the State-respondents, Mr. Anup Kumar Srivastava, learned counsel for respondent nos.6 & 7 and Mr. Bhupendra Kumar Tripathi, learned counsel for the respondent- Land Management Committee.

2. Learned counsel for the petitioners submitted that the mutation application filed on behalf of private respondents on the basis of alleged Will-deed, has been allowed in arbitrary manner. He further submitted that the petitioner is claiming right on the basis of succession but without considering the case of the petitioners, the order for mutation on the basis of alleged Will-deed has been passed on 7.10.2022 by the Tahsildar. He next submitted that the appeal and revision filed by the petitioners have been also dismissed without considering the case of the petitioners. He also submitted that the petitioners have filed suit No.926 of 2013 for cancellation of the alleged Will-deed, which is pending before the Civil Court, as such, the impugned order passed by the Tahsildar as maintained in appeal and revision be set aside and matter be examined afresh in accordance with law.

3. On the other hand, Mr. Anup Kumar Srivastava, learned counsel for the private respondent nos.6 & 7, Mr. Bhupendra Kumar Tripathi, learned counsel for the Land Management Committee and Mr. Anil Srivastava learned Standing Counsel for State submitted that the mutation application has been allowed on the basis of registered Will-deed, as such, unless the Will-deed is cancelled in accordance with law, the mutation application filed by the private respondents cannot be dismissed. They further submitted that the mutation application has been rightly allowed and the order has been rightly maintained in appeal and revision. They next submitted that the civil suit for cancellation of the Will-deed filed on behalf of the petitioners is pending before the civil Court, as such, no interference is required and the revision is liable to be dismissed.

4. I have considered the argument advanced by learned counsel for the parties and perused the records.

5. There is no dispute about the fact that the Tahsildar has passed the

order of mutation on the basis of Will-deed in favour of private respondents on 7.10.2020. There is also no dispute about the fact that the order dated 7.10.2020 has been maintained in appeal vide order dated 10.1.2022. There is also no dispute about the fact that revisional Court has dismissed the petitioners' revision on 17.4.2022. There is also no dispute about the fact that the Civil Suit No.926 of 2013 filed by the petitioners for cancellation of the Will-deed executed in favour of the private respondents is pending before the Civil Judge, Junior Division, Hawali, Varanasi.

6. In order to appreciate the controversy involved in the matter, perusal of order dated 7.10.2020 passed by the Tahsildar will be relevant, which is as follows:

"आदेश पत्रक
न्यायालय: तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल: वाराणसी, जनपद: वाराणसी, तहसील: राजातालाब
वाद संख्या:-758/2014
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:-T2014147003758
दुर्गावती देवी बनाम सन्त राम
अंतर्गत धारा:-34/35, अधिनियम:-उ०प्र०भू-राजस्व अधिनियम, 1901
निर्णय

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की मौखिक बहस सुनी गयी तथा आपत्तिकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस को देखा गया तथा विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वसीयतनामा को लिखित खातेदार द्वारा तहरीर कर पंजीकृत कराया गया है। जिसके दोनों गवाह भगवन्ता व विजय कुमार पटेल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने-अपने बयान व जिरह के माध्यम से वसीयतनामा को साबित करते हुये कहा गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध यह वही वसीयत है जिस पर संतूराम ने हस्ताक्षर एवं निशानी अगूठा लगाया है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। वसीयत हमारे समक्ष उपनिबंधक गंगापुर निबंधित है। इस प्रकार वसीयतनामा को गवाहों द्वारा साबित किया गया है। आपत्तिकर्तागण द्वारा आपत्ति को उनकी इच्छा के विपरीत उनकी ना जानकारी में तहरीर कराया जाना कहा गया है। यह भी कहा गया है कि वसीयतकर्ता की वृद्धापन के कारण सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इसलिए वसीयतनामा संदिग्ध व फर्जी है। इस सम्बंध में आपत्तिकर्तागण द्वारा गवाहों के बयान व जिरह अंकित कराये गये हैं कि वसीयतकर्ता आपत्तिकर्ता व वसीयतग्रहिता के संयुक्त परिवार के साथ रहकर सेवा पाते थे। आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि मृतक वसीयतकर्ता के वास्तविक उत्तराधिकारियों के पक्ष में सही तरीके से वरासत आदेश दर्ज हो चुका है, और सभी तीनों भाई अपने-अपने अंश के मुताबिक काबिज हैं। वसीयतनामा बिल्कुल जाली व फर्जी दस्तावेज है। जिसे निष्पादित किये जाने का विशेष कारण नहीं दर्शाया गया है। वसीयतनामा मात्र पारिवारिक सदस्यों के अंश को हड़पने के लिए साजिश के तहत तहरीर कराया गया है। इस सम्बंध में विधि व्यवस्था 2009 आर.डी. पेज 250 व 2015 आर.डी. पेज 323, 2007 आर.डी. पेज 128 आदि का हवाला देते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वसीयतनामा को विधिनुसार प्रमाणित नहीं कराया गया है तथा वसीयतनामा के आधार पर परिवार के अन्य सदस्यों के हित से बंचित किया गया है। परिस्थितियां संदेहास्पद हैं। जबकि वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि वसीयतनामा पंजीकृत दस्तावेज है जिसे नियमानुसार उसके दोनों गवाहों द्वारा साबित किया गया है। इस सम्बंध में विधि व्यवस्था 2002 रा०नि०सं० पेज 370 से 373 व 1993 रा०नि०सं० पेज 26 से 31 व 1991 रा०नि०सं० पेज 24 का हवाला प्रस्तुत करते हुये यह मत व्यक्त किया गया कि वसीयतनामा पंजीकृत है जो ज०वि० एवं भू०व्य०अधि० की धारा 169 से अनुध्यात करती है क्योंकि वसीयतकर्ता भूमिधर व्यक्ति हैं। उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वसीयतनामा यदि पंजीकृत दस्तावेज है जिसे लिखित खातेदार द्वारा तहरीर किया गया है। जिसके दोनों गवाहों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर विधिनुसार साबित किया गया है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्तागण की आपत्ति के जो तथ्य हैं वसीयतनामा को फर्जी व संदिग्ध कहा गया है। नामांतरण की कार्यवाही एक सरसरी प्रक्रिया है। जिसके अन्तर्गत पंजीकृत दस्तावेज की वैधानिकता पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वसीयत विधिनुसार साबित है। अतः आपत्ति दिनांक 24.01.2014 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही किया जाना व वरासत आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। मौजा भतसार परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी की खतौनी वर्ष 1417-1422 फ० के खाता सं० 744 व 242 पर दर्ज प०क० 11 ख का राजस्व निरीक्षक रोहनियां आदेश दिनांक 28.06.2013 निरस्त करते हुये वर्तमान खतौनी वर्ष 1423-1428 फ० के खाता सं० 160 व 252 पर दर्ज वारिसों चन्द्रबली व महेन्द्र व भुईधर पुत्रगण स्व० बेचू का नाम निरस्त करके वसीयतकर्ता सन्तूराम उर्फ सन्तराम पुत्र भगू उर्फ मधू के स्थान पर जरिये पंजीकृत वसीयतनामा दुर्गावती देवी पत्नी चन्द्रबली पटेल निवासिनी मौजा भतसार(लहिया) परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी का नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दा०द० हो।

दिनांक

ह० अप०
07/10/20
तहसीलदार (न्यायिक) राजातालाब
वाराणसी"

7. Perusal of finding of fact recorded by the Tahsildar reveals that mutation order has been passed on the basis of registered Will-deed. It is also material that civil suit at the instance of the petitioners for cancellation of Will-deed is pending before the civil Court.

8. Considering the findings of fact recorded by the Tahsildar as well as pendency of civil suit at the instance of the petitioners, no interference is required against the impugned judgments.

9. The writ petition is ***dismissed***. Needless to say that the order passed in the mutation proceedings shall not come in the way of the petitioners to establish their claim in accordance with law in the pending civil suit.

Order Date :- 30.11.2023

Rameez